न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 680 सन 2019

अनवान :–

1. भैरोसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रा पुत्री रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. राजकौरी पत्नी स्वी रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. गुडी देवी पत्नी महेन्द्र सिह जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. सुनीता 6 कलावती पुत्रीया महेन्द्रसिह जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेशोकार राजे

निर्णय दिनांक :– 3/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 107/102 के खसरा न0 122/3 की 7.6260हैक भूमि का प्रताप पुत्र रूल्दुराम , एवं रोही मौजा 2 केएम के खाता संख्या 37/32 की कुल 1.1760हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रताप का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 3 केएम के खाता संख्या 20/14 की कुल 2.0240हैक भूमि में प्रताप का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रताप पुत्र रूल्दुराम जाति मेधवाल दिनांक 1.7.2018 को फोत हो चुका है जिसका एक पुत्र महेन्द्रसिह का भी देहान्त दिनांक 15.05.1996 को हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 मृतक प्रताप का पुत्र व प्रतिवादी संख्या 2 मृतक प्रताप की पुत्री हे एवं प्रतिवादी संख्या 3 मृतक प्रताप की पत्नि है इसप्रकार प्रताप के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो प्रताप के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 जो वादी की भूआ/दादी/बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रताप जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि उसके दादा प्रताप पुत्र रूल्दुराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा प्रताप का देहान्त हो चुका है एव प्रताप के एक पुत्र महेन्द्र का भी देहान्त हो चुका है इसलिये वाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ही हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ,जो वादी की बुआ/दादी/बहन है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भतिजे/पौत/बहन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 107/102 के खसरा न0 122/3 की 7.6260हैक भूमि का प्रताप पुत्र रूल्दुराम , एवं रोही मौजा 2 केएम के खाता संख्या 37/32 की कुल 1.1760हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रताप का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 3 केएम के खाता संख्या 20/14 की कुल 2.0240हैक भूमि में प्रताप का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रताप पुत्र रूल्दुराम जाति मेधवाल दिनांक 1.7.2018 को फोत हो चुका है जिसका एक पुत्र महेन्द्रसिह का भी देहान्त दिनांक 15.05.1996 को हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 मृतक प्रताप का पुत्र व प्रतिवादी संख्या 2 मृतक प्रताप की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 3 मृतक प्रताप की पत्नि है इसप्रकार प्रताप के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो प्रताप के नाम से दर्ज भूमि के जायज हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 जो वादी की भूआ/दादी/बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 107/102 के खसरा न0 122/3 की 7.6260हैक भूमि का प्रताप पुत्र रूल्दुराम , एवं रोही मौजा 2 केएम के खाता संख्या 37/32 की कुल 1.1760हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रताप का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 3 केएम के खाता संख्या 20/14 की कुल 2.0240हैक भूमि में प्रताप का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जोधपुर

प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र रूल्दूराम वादी के दादा है जिनका देहान्त दिनांक 01.07.2018 को हो चुका है प्रताप उर्फ रामप्रताप के एक पुत्र महेन्द्र पुत्र प्रताप उर्फ रामप्रताप का भी दिनांक 15.05.1996 को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 है इस प्रकार प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र रूल्दूराम जाति मेघवाल साकिन थालडका के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से पूर्णत्या साबित है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा के नाम से दर्ज है जिसमें उसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की दादी हे प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की भूआ है एवं प्रतिवादी संख्या 4 वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 ता ,6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 107/102 की कुल 7.6260है में वादी अकेला 1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 2 केएम के खाता संख्या 37/22 की कुल 1.1760हैक भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा , व रोही मौजा चक 3 केएम के खाता संख्या 20/14 की कुल 2.0240हैक भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक प्रताप उर्फ रामप्रताप का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भैरोसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 महावीर पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रा पुत्री रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. राजकौरी पत्नी स्वी रामप्रताप उर्फ प्रताप जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. गुडी देवी पत्नी महेन्द्र सिह जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. सुनीता 6 कलावती पुत्रीया महेन्द्रसिह जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 680 सन 2019 निर्णय दिनांक– 3|3|20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 107/102 की कुल 7.6260है में वादी अकेला 1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 2 केएम के खाता संख्या 37/22 की कुल 1.1760हैक भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा , व रोही मौजा चक 3 केएम के खाता संख्या 20/14 की कुल 2.0240हैक भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक प्रताप उर्फ रामप्रताप का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3|3|2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)